डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
वि. चू. भु.-भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म.प्र.-108 भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2006—ज्येष्ठ 19, शक 1928

भाग ४

विषय सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2006

क्र. 3346-तेरह-2006.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' दिनांक 8 अक्टूबर 2004 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5691 तेरह-2004, दिनांक 29 सितम्बर 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शर्त 3 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाए, अर्थात् :—

''4 कैप्टिव पावर संयंत्र (प्लान्ट) 5 वर्ष की कालावधि के लिये

विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट के लिये उस तारीख से पात्र होगा जिस तारीख पर संयंत्र (प्लान्ट) पूर्ण भार कार्यकरण क्षमता (फुल लोड वर्किंग कैपेसिटी) अभिप्राप्त करता है अर्थात् जब वह सामान्य दर पर पूर्ण भार उत्पादन क्षमता (नार्मल रेटेड फुल लोड आउटपुट कैपेसिटी) अभिप्राप्त कर लेता है या परीक्षण उत्पादन (ट्रायल रन प्रोडक्शन) की तारीख से 180 दिन जो भी पूर्वतर हो. यह आवश्यक होगा कि संयंत्र (प्लान्ट) की पूर्ण कार्यकरण क्षमता पर जनरेटर रीडिंग मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या विद्युत् निरीक्षणालय के अधिकारियों की उपस्थिति में नोट की जाए."

No. 3346-XIII-2000.—In exercise of the powers conferred by Section 3-B of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949), the State Government hereby makes the following amendments in this Department's Notification No.5691-XIII-2004, dated 29th September 2004, published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 8th October 2004, namely :—

'AMENDMENT'

In the said notification, after condition 3, the following condition shall be added, namely :

"4. The captive power plant shall be eligible for exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date on which plant obtains the full load working capacity that is when it gets the normal rated full load output capacity or 180 days from the date of trial run production, whichever is earlier. It shall be necessary that the generator reading shall be noted on full working capacity of plant in presence of the officers of Madhya Pradesh State Electricity Board or Electrical Inspectorate."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय चंदोपाध्याय, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.